बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

::आदेश::

सं0सं0–9/आ०–05–13/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० गोपाल कृष्ण, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकेर, सारण के विरूद्ध संस्थान में कार्यरत चिकित्सक पर प्रशासनिक नियत्रण नहीं रहने एवं जीवन रक्षक उपकरण को क्रियाशील नहीं रखने के कारण आमजनो को चिकित्सीय सुविधा प्रभावित होने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–1268(9) दिनांक–11.12.2024 द्वारा निम्नांकित शास्ति अधिरोपित की गयीः–

i. निन्दन।

ii. संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

2. डॉ० कृष्ण द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध दिनांक–24.01.2025 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत कराया गया है कि सिविल सर्जन, सारण के पत्राक–2430 दिनांक–04.12.2013 के अनुपालन मे वे दिनांक–13.12.2023 को पुरूष नसबंदी पखवाडा हेतु आयोजित बैठक में वे उपस्थित थे। संस्थान में एक कार्यरत एम०बी०बी०एस० चिकित्सक द्वारा बाह्य कक्ष में कार्य किया जा रहा था। एक आयुष चिकित्सक आकस्मिक अवकाश में थे अन्य आयुष चिकित्सक क्षेत्र में कर्त्तव्य पर उपस्थित थे। संस्थान में फार्मासिस्ट का पद रिक्त होने के कारण दवा वितरण पंजी को संधारित नहीं किया जा रहा था। कुमारी नीतू सिन्हा, सी०एच०ओ० का औचक निरीक्षण के तिथि को सडक दुर्घटना मे जख्मी होने के कारण अनुपस्थित थी।

3. अपर मुख्य सचिव एवं सचिव द्वारा दिनाक–13.12.2023 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकेर, सारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि संस्थान में पर्याप्त चिकित्सक पदस्थापित रहने के बावजूद मात्र एक चिकित्सक द्वारा ओ०पी०डी० का कार्य किया जा रहा था। जिसके कारण आमजनों को अनावश्यक कठिनाई हो रही थी। डॉ० कृष्ण संस्थान के प्रभारी होने के कारण उनका दायित्व था कि चिकित्सकों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराते। प्रशासनिक विफलता एवं चिकित्सकों के अनुपस्थिति के आरोप से मुक्त करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा दवा भण्डारण पंजी की नियमित रूप से संधारण करने की व्यवस्था नहीं की गयी एवं Autoclave मशीन खराब पाया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा मामलें की समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ० कृष्ण के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई ऐसा नया तथ्य अंकित नहीं है, जो सुविचारित प्रदत शास्ति को क्षान्त करता हो। फलतः डॉ० कृष्ण द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में नये तथ्यों के अभाव में अधिसूचना सं०–1268(9) दिनांक–11.12.2024 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति यथावत रखते हुए डॉ० गोपाल कृष्ण, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकेर, सारण के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–05–13/2024(स्वा0) 455(9) **/पटना, दिनांकः–** 16.05.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, सारण/डॉ० गोपाल कृष्ण, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकेर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/05/2025

सरकार के अवर सचिव।